न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—225/2020/225 (2020/00225)

1. घासी पुत्र गुल्ला, जाति जाट, निवासी बगरूखुर्द, हाल नि0 टील्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।

अपीलांट

बनाम

1. सुन्दरदेवी पुत्री गुल्ला पत्नि लादूराम, जाति जाट, निवासी बगरूखुर्द, हाल निवासी किशनपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
2. तहसीलदार, मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
3. श्रीमती गीता पत्नी पांचूराम, जाति जाट, निवासी ग्राम किशनपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
4. मंगलीदेवी पत्नी किशनलाल, जाति जाट, निवासी ग्राम किशनपुरा, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
5. सुगना देवी पत्नी रामेश्वर चौधरी, जाति जाट, निवासी डागरो की ढाणी, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू दिनांक 18.11.2020 अंतर्गत प्रकरण संख्या 11/2016.

उपस्थितः—

1. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील अपीलांट ।
2. श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 2.
4. श्री मंगलाराम चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 3 से 5.

निर्णय

दिनांकः— 6.8.2021

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू के आदेश दिनांक 18.11.2020 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 व 188 बाबत् खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश कर निवेदन किया कि जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 के खाता संख्या 17 के आराजी खसरा नंबर 80 रकबा 1.0000 है0, खसरा नंबर 92 रकबा 1.3300है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.3300 है0, आराजी खाता संख्या 18 के आराजी खसरा नंबर 74 रकबा 2.15 है0, खतौनी संख्या 40 के आराजी खसरा नंबर 81 रकबा 9.2200 है0,खतौनी संख्या 96 के आराजी खसरा नंबर 78 रकबा 1.3900 है0, खतौनी संख्या 97 की आराजी खसरा नंबर 79 रकबा 2.5700 है0, खतौनी संख्या 114

की आराजी खसरा नबर 77 रकबा 1.0800 है0, खतौनी संख्या 115 की आराजी खसरा नंबर 73 रकबा 0.0400 है0, खसरा नंबर 75 रकबा 0.4800 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.5200 है0, खतौनी संख्या 116 की आराजी खसरा नंबर 76 रकबा 1.1900 है0 जो ग्राम रामपुरा उर्फ भूरटिया, तहसील मौजमाबाद में स्थित है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के दर्ज हिस्से में से वादिनी का आधा हिस्सा है तथा पारिवारिक सजरा अनुसार गुल्ला पुत्र काना के पुत्र घासी प्रतिवादी तथा सुन्दरदेवी पुत्री वादिनी है । वादिनी के पिता के गुल्लाराम की आराजी ग्राम बगरूखुर्द में स्थित आराजी खतौनी संख्या 35, 37, 30 जो प्रतिवादी संख्या 1 को गुल्ला को प्राप्त हुई थी तथा जब गुल्ला का स्वर्गवास हुआ तब नामांतकरण संख्या 28 दिनांक 4.1.1964 अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खोल दिया गया जबकि दोनों के नाम खुलना चाहिये था । वादिनी अपने ससुराल में रहती है जिसका नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी ने बगरूखुर्द की सम्पति का बेचान कर उक्त आये से ग्राम रामपुरा उर्फ भूरटिया में जमीन क्रय की है जो पैतृक सम्पति के बेचान से प्राप्त आय से प्राप्त राशि से ग्राम रामपुरा उर्फ भूरटिया में खरीद की है । इसलिये वादी का बराबर हक व हिस्सा है । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 14.7.2016 को वादी/रेस्पो0 का वाद डिक्री कर दिया । अधी0न्याया0 के उक्त निर्णय की जानकारी होने पर प्रतिवादी ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.7.2016 को निरस्त करने का निवेदन किया । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 18.11.2020 द्वारा प्रतिवादी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा0दी0 निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.11.2020 न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने प्रतिवादी/अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा0दी0 खारिज कर अपीलांट के साथ अन्याय किया है । वादी/रेस्पो0 द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया गया था उसको दिनांक 28.7.2014 को दर्ज किया गया जिसकी प्रतिवादी/अपीलांट को तामील नहीं हुई तथा दुबारा साधारण नोटिस पेश नहीं किया गया बल्कि दिनांक 24.3.2015 को रजिस्टर्ड नोटिस के आदेश पारित कर दिये जिसकी भी तामील नहीं हुई तथा दिनाक 8.9.2015 को तलबी जरिये अखबार साया के आदेश पारित कर दिये और उक्त आधार पर दिनांक 30.11.2015 को अखबार साया तामील होना मानते हुए एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय व डिक्री पारित कर दी जिसको निरस्त कराने हेतु अपीलांट की ओर से आदेश 9 नियम 13 सपठित धार 151 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश किया था लेकिन अधी0न्याया0 का यह मानना कि जो भी तामीली के प्रावधान थे वह पूर्ण करते हुए उपस्थित होने के समुचित अवसर जारी किये गये है इसके बावजूद भी प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित नही हुआ इसलिये प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 खारिज किया जाता है । जबकि अधी0न्याया0 को यह देखना था कि क्या अपीलांट की तामील हुई है अथवा नहीं । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य की जांच किये बिना प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि कारित की है । बहस में आगे कथन किया कि वादिया/रेस्पो0 को भली भांति यह जानकारी है कि अपीलांट ग्राम

बगरूखुर्द में नहीं रहता है बल्कि टिल्यावास में रहता है तथा निर्णय व डिक्री पारित होने के पूर्व 4 वर्षो से ग्राम टिल्यावास में निवास करता है इसके बावजूद अपीलांट को साधारण नोटिस एवं रजिस्टर्ड नोटिस जो भेजे गये वे ग्राम बगरूखुर्द के थे, इसलिये प्रतिवादी/अपीलांट को तामील नहीं होने का उचित कारण था । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर प्रार्थना पत्र निरस्त करने में त्रुटि कारित की है । प्रतिस्थापित तामील तब ही करवाई जा सकती है जब पक्षकार तामीली करने से बच रहा हो जबकि रेस्पो0 द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अखबार में साया की तामीली से वाद निर्णित करने में त्रुटि कारित की है । प्रतिवादी/अपीलांट अशिक्षित एवं ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है जो कि अंगूठा निशानी करता है ना तो वह अखबार पढ़ना जानता है इसलिये अधी0न्याया0 को अपीलांट की परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर जवाब साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करना चाहिये था । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र में अपीलांट की और से जो आधार लिये है उन पर किसी प्रकार का निर्णय पारित नही कर केवल मात्र तामीली के प्रावधान पूर्ण होना मानते हुए प्रार्थना पत्र निरस्त यिका है । वादी/रेस्पो0 ने अधी0न्याया0 के समक्ष अपना वाद साबित नहीं किया था इस कारण डिक्री योग्य नहीं था । विवादित आराजी प्रतिवादी/अपीलांट की कयशुदा आराजी है तो फिर दावा डिक्री होने योग्य नहीं था । अधी0न्याया0 ने गलत रूप से एकपक्षीय दावा डिक्री किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.11.2020 निरस्त किया जावे तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा0दी0 स्वीकार कर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित कर वाद में अपीलांट को जवाब, साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को निर्णित किये जाने के आदेश प्रदान करावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में डी0एन0जे0 2010 राज0 पेज 1139, डी0एन0जे0 2014 राज0 पेज 584, डी0एन0जे0 2018 राज0 पेज 357, डी0एन0जे0 2020 पार्ट–1 राज0 पेज 225 के न्यायिक दृष्टांत तथा मान0 राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा निगरानी टी.ए. संख्या 3213/2021/जयपुर उनवान सुन्दर देवी बनाक घासी में पारित निर्णय दिनाक 22.7.2021 की फोटो प्रति पेश की ।

5. विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत् है । अधी0न्याया0 के समक्ष वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा वाद प्रस्तुत किये जाने पर अधी0न्याया0 ने वाद दर्ज रजिस्टर कर सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार आदेश 5 नियम 1 व 5 की पालना में प्रतिवादी/अपीलांट को उक्त प्रकरण में अपना पक्ष रखने के लिए प्रतिवादी की तामील सुनिश्चित करवाने के लिए विवाद्यको के स्थिरीकरण के लिये सम्मन जारी किये थे इसके बावजदू भी प्रतिवादी/अपीलांट अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित नहीं हुए जिस पर वादिनी/रेस्पो0 ने अधी0न्याया0 से आदेश 5 नियम 9 के अनुसार रजिस्टर्ड ए0डी0 के आदेश हेतु निवेदन किया कि जिस पर अधी0न्याया0 ने रजिस्टर्ड ए0डी0 के आदेश प्रदान किये किन्तु अपीलांट रजिस्टर्ड ए0डी0 नोटिस से भी बचता रहा तथा अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित नही हुआ । प्रतिवादी वादी का सगा भाई है इसलिये रिश्तेदारों के माध्यम से उसे वाद की पूर्ण जानकारी हो चुकी थी । रजिस्टर्ड ए0डी0 नोटिस के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नही हुआ तो वादी ने सिविल प्रकिया में दिये हुए तामील करवाने के प्रावधानों के तहत दैनिक समचार पत्र से प्रतिवादी की तामील करवाने का निवेदन किया जिस पर

अधी0न्याया0 ने वादी की प्रार्थना को स्वीकार कर समाचार पत्र के माध्यम से प्रतिवादी को तामील कराये जाने के आदेश दिये है । जिसकी पालना में वादी ने राजस्थान पत्रिका में नोटिस दिनांक 18.9.2015 को साया करवाकर अखबार की प्रति अधी0न्याया0 के समक्ष पेश की है । इस प्रकार प्रतिवादी/अपीलांट को विधिक प्रकिया के तहत तामील कराई गई किन्तु अपीलांट जानबूझकर अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। इस कारण अधी0न्याया0 ने अपीलांट/प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर वादी/रेस्पो0 का वाद डिक्री किया है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है । बहस में आगे कथन किया कि आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा0दी0 के प्रावधानों अनुसार अगर प्रतिवादी को सुनवाई हेतु सम्यक रूप से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का सुअवसर नहीं दिया जाता है तो एकतरफा डिक्री को निरस्त करने का प्रावधान है परन्तु हस्तगत प्रकरण में जाप्ता दीवानी के प्रावधान अनुसार आदेश 5 नियम 1 व 5 व आदेश 5 नियम 9 व आदेश 5 नियम 20 के अनुसार वादी/प्रतिवादी को उपस्थित होने के समुचित अवसर प्रदान किये गये थे इसके बावजूद अपीलांट/प्रतिवादी अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित नही हुआ । इसी कारण अधी0न्याया0 ने अपीलांट/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा0दी0 खारिज किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया । अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा0दी0 इस आधार पर पेश किया कि वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत वाद की सम्मन/नोटिस की प्रतिवादी संख्या 1/अपीलांट को कभी भी प्रोपर तामील एवं रजिस्टर्ड ए0डी0 या चस्पानगी से तामील नहीं करवाई गई है। अधी0न्याया0 की पत्रावली की आदेशिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा वाद पेश किये जाने पर अधी0न्याया0 ने दिनांक 28.7.2014 को वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलबी जारी करने के आदेश पारित किये । तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 को तलबी नोटिस जारी किये गये किन्तु तामील नहीं होने पर अधी0न्याया0 ने दिनांक 24.3.2015 को प्रतिवादी संख्या 1 की तामील हेतु वादी को रजिस्टर्ड नोटिस ए0डी0 पेश करने के निर्देश दिये गये किन्तु रजिस्टर्ड ए0डी0 से भी तामील नहीं होने पर अधी0न्याया0 ने दिनांक 8.9.2015 को वादी को निर्देशित किया कि प्रतिवादी संख्या 1 की तलबी हेतु अखबार साया हेतु तलवाना पेश करे जिसकी पालना में वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के नोटिस अखबार में साया करवाकर दिनांक 12.10.2015 को अखबार साया की प्रति न्यायालय में पेश की गई है । इसके बावजूद अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर अधी0न्याया0 ने वाद में वादी की बहस सुनकर निर्णय व डिक्री पारित की है । जहां तक अपीलांटस अधिवक्ता का कथन है कि वह ग्राम बगरूखुर्द में निवास नहीं कर ग्राम टिल्यावास में निवास करता है उक्त बाबत् उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है एवं जब विचारण न्यायालय द्वारा तामील संबंधी प्रकिया अपनाते हुए साधारण नोटिस, रजिस्टर्ड ए0डी0नोटिस एवं अखबार साया संबंध प्रकिया पूर्ण करने के बावजूद भी यदि पक्षकार न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो तो न्यायालय के पास एकपक्षीय कार्यवाही करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहता है एवं विचारण न्यायालय की आदेशिकाओं से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0

द्वारा सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार आदेश 5 में तामीली संबंधी दिये गये प्रावधानों की पूर्ण करते हुए निर्णय व डिक्री पारित की है । प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त प्रकरण में अपना पक्ष रखने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 की तामील सुनिश्चित करवाने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 को विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन जारी किये गये है इसके बावजूद प्रतिवादी/अपीलांट न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ । हम अधी0न्याया0 के इस निष्कर्ष से सहमत है कि आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 में एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने का जो प्रावधान दिया गया है उससे जाहिर है कि आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 के प्रावधानों के अनुसार अगर प्रतिवादी को सुनवाई हेतु सम्यक रूप से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का अवसर नहीं देने की स्थिति में एकतरफा डिक्री को निरस्त करने का प्रावधान है परन्तु उक्त प्रकरण में जाप्ता दीवानी के प्रावधान अनुसार आदेश 5 नियम 1 व 5 व आदेश 5 नियम 19 आदेश 5 नियम 20 के अनुसार प्रतिवादी को उपस्थिति होने के समुचित अवसर जारी किये गये इसके बावजूद भी प्रतिवादी जानबूझकर अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ । इसी कारण अधी0न्याया0 द्वारा प्रतिवादी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा0दी0 निरस्त किया गया है जो विधिसम्मत् निर्णय है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.11.2020 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 6.8.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर